भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 739

जिसका उत्तर 26 जुलाई, 2021 को दिया जाना है।

.....

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत निधि

739. डा. नरेन्द्र जाधव:
श्री मल्लिकार्जुन खरगे:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) की शुरुआत से अब तक इसके अंतर्गत जारी की गई निधि का राज्य-वार और वर्ष वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इस योजना की शुरुआत से अब तक उपयोग की गई निधि का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) हर खेत को पानी इत्यादि जैसी योजनाओं के प्रारंभ से, उनके अंतर्गत आने वाले पृथक-पृथक हिस्सों के लिए राज्य-वार और वर्ष-वार कितनी-कितनी निधि आवंटित की गई; और

(घ) पीएमकेएसवाई के प्रत्येक घटक के लिए राज्य-वार और वर्ष-वार कितनी निधि वास्तव में उपयोग में लाई गई?

उत्तर

जल शक्ति मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) से (घ): प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई), जो वर्ष 2015 में आरंभ की गई थी, इस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही दो वृहत घटक नामत: त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) और हर खेत को पानी (एचकेकेपी) को सम्मिलित करते हुए एक अम्ब्रेला योजना है। बदले में, एचकेकेपी के चार उप-घटक नामत: कमान क्षेत्र विकास (सीएडी), सतही सूक्ष्म सिंचाई (एसएमआई), जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण और पुनरूद्धार (आरआरआर) और भूजल विकास घटक शामिल हैं।

इसके अितरिक्त, पीएमकेएसवाई में अन्य विभागों द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे दो अन्य घटक भी शामिल हैं। प्रति बूंद अधिक फसल को कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है, जबकि, पीएमकेएसवाई के जल विभाजक घटक को भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया रहा है।

पीएमकेएसवाई वर्ष 2015 में इसके आरंभ से, विभिन्न घटकों के तहत जारी की गई निधियों का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा **अनुलग्न** में दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, पीएमकेएसवाई के तहत जारी की गई निधि का उपयोग एक सतत प्रक्रिया है। विशिष्ट योजनाओं के दिशा-निर्देशों के अनुसार, योजना के तहत अगली किस्त तभी जारी होगी जब पहले जारी की गई निधियों के उपयोगिता प्रमाणपत्र की प्रस्तुती की आवश्यकता है।

******

अनुलग्नक

"प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत निधि" विषय पर राज्य सभा में दिनांक 26.07.2021 को उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 739 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

केन्द्रीय सहायता/आवंटन (संशोधित अनुमान) (करोड रूपए में)

क्र.सं.	राज्य		2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1	आंध्र प्रदेश	एआईबीपी	0.00	7.40	15.23	0.00	0.00	0.00
		एचकेकेपी	0.00	0.00	0.00	71.88	0.00	0.00
		पीडीएमसी	206.47	308.69	517.10	520.00	452.00	100.00
		डब्ल्यूडीसी	86.73	120.96	123.35	139.15	144.39	43.89
2	अरुणाचल प्रदेश	एचकेकेपी	45.53	20.52	10.26	22.25	66.10	114.69
		पीडीएमसी	2.60	2.00	8.30	12.50	18.00	25.00
		डब्ल्यूडीसी	18.00	23.12	9.62	19.17	55.71	5.80
3	असम	एआईबीपी	107.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		एचकेकेपी	163.73	87.86	375.77	431.89	546.93	232.62
		पीडीएमसी	5.03	11.00	3.00	30.00	42.00	0.00
		डब्ल्यूडीसी	45.00	0.00	65.09	66.55	49.03	169.26
4	बिहार	एआईबीपी	41.51	0.00	46.32	37.82	11.98	14.12
		एचकेकेपी	14.11	12.64	8.76	52.96	27.96	10.65
		पीडीएमसी	28.60	21.60	12.50	27.91	0.00	0.00
		डब्ल्यूडीसी	5.00	28.26	19.21	46.77	88.37	0.00
5	छत्तीसगढ	एआईबीपी	0.00	13.29	17.25	0.00	4.09	6.45
		एचकेकेपी	32.77	0.00	11.78	9.93	0.00	0.00
		पीडीएमसी	20.30	44.80	55.00	43.39	32.15	45.00
		डब्ल्यूडीसी	20.00	34.96	33.45	57.03	47.07	0.00
6	गोवा	एआईबीपी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		एचकेकेपी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.84
		पीडीएमसी	0.30	0.80	0.00	1.20	0.50	0.00
7	गुजरात	एआईबीपी	128.00	961.88	1410.49	1047.29	485.35	177.96
		एचकेकेपी	354.72	681.64	690.48	355.85	6.00	0.00
		पीडीएमसी	213.05	274.00	300.00	272.50	280.00	273.00
		डब्ल्यूडीसी	100.00	115.04	87.51	151.84	77.93	0.00
8	हिमाचल प्रदेश	एचकेकेपी	1.67	1.13	49.28	66.20	147.91	59.80
		पीडीएमसी	7.60	8.50	19.25	26.00	18.00	20.00
		डब्ल्यूडीसी	20.00	35.40	26.83	24.04	66.87	0.00
9	हरियाणा	एचकेकेपी	77.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		पीडीएमसी	34.97	27.00	14.01	27.41	16.80	98.00
		डब्ल्यूडीसी	6.91	12.82	10.94	10.00	7.13	13.68
10	जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख का संघ राज्य क्षेत्र	एआईबीपी	34.31	0.00	9.57	16.92	5.88	10.31
		एचकेकेपी	111.70	0.00	104.48	33.41	68.58	99.46
		पीडीएमसी	4.87	5.40	3.00	7.80	29.40	10.00

		डब्ल्यूडीसी	0.00	25.59	43.66	71.87	0.00	97.36
11	झारखंड	एआईबीपी	281.62	145.75	305.10	305.88	0.00	0.00
		पीडीएमसी	14.97	30.70	25.00	10.00	22.97	42.00
		डब्ल्यूडीसी	20.00	17.68	0.00	28.83	36.77	41.92
12	कर्नाटक	एआईबीपी	208.16	135.46	459.52	197.00	163.42	231.22
		एचकेकेपी	61.10	31.42	15.24	13.49	3.79	11.34
		पीडीएमसी	213.12	229.00	385.00	372.03	410.00	400.00
		डब्ल्यूडीसी	125.00	145.72	175.69	101.07	21.76	6.16
13	केरल	एआईबीपी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		एचकेकेपी	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	2.69
		पीडीएमसी	8.53	0.00	25.00	4.00	0.00	5.00
		डब्ल्यूडीसी	20.00	16.62	17.83	13.06	48.77	0.00
14	मध्य प्रदेश	एआईबीपी	188.21	300.13	181.27	81.01	26.45	19.96
		एचकेकेपी	104.31	77.75	102.79	70.91	0.00	43.32
		पीडीएमसी	161.74	121.10	150.00	132.56	102.00	125.00
		डब्ल्यूडीसी	150.00	129.44	134.84	162.41	221.28	84.90
15	महाराष्ट्र	एआईबीपी	307.81	379.86	363.02	527.54	291.68	301.85
		एचकेकेपी	4.78	15.17	32.83	25.79	0.00	46.23
		पीडीएमसी	107.26	305.70	362.50	360.00	325.00	300.00
		डब्ल्यूडीसी	250.00	186.95	279.21	163.33	103.00	0.00
16	मणिपुर	एआईबीपी	142.38	126.99	25.42	21.93	30.50	23.51
		एचकेकेपी	67.92	20.00	22.23	0.00	24.26	102.56
		पीडीएमसी	2.76	3.60	7.50	40.00	40.00	27.50
		डब्ल्यूडीसी	9.00	11.29	13.84	14.14	1.46	0.00
17	मेघालय	एचकेकेपी	72.99	0.00	47.10	31.50	22.22	57.07
		पीडीएमसी	1.43	0.00	3.30	12.00	0.00	15.00
		डब्ल्यूडीसी	18.00	11.56	8.95	6.69	1.19	0.00
18	मिजोरम	एचकेकेपी	1.98	0.00	8.25	0.00	11.35	16.31
		पीडीएमसी	3.27	8.10	12.30	27.80	28.00	25.00
		डब्ल्यूडीसी	8.87	16.06	22.35	23.14	22.27	0.00
19	नगालैंड	एचकेकेपी	61.45	18.50	9.25	35.33	30.21	35.99
		पीडीएमसी	2.34	4.50	11.80	35.00	53.00	30.00
		डब्ल्यूडीसी	27.00	60.84	32.08	38.51	137.55	3.53
20	सिक्किम	एचकेकेपी	4.34	0.00	9.00	16.61	9.13	9.33
		पीडीएमसी	4.86	5.40	4.00	55.19	31.79	35.00
		डब्ल्यूडीसी	6.30	0.00	1.40	0.00	2.13	0.00
21	त्रिपुरा	एचकेकेपी	0.00	0.00	0.00	0.00	16.15	0.00
		पीडीएमसी	1.55	0.00	3.75	15.00	18.00	13.20
		डब्ल्यूडीसी	20.89	27.12	16.66	15.89	10.75	11.74
22	उत्तराखंड	एचकेकेपी	121.37	0.00	32.40	61.00	31.78	1.36
		पीडीएमसी	9.60	15.00	27.20	43.00	32.00	50.00
		डब्ल्यूडीसी	25.68	16.15	9.97	6.98	0.00	0.00
23	पश्चिम बंगाल	एचकेकेपी	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		पीडीएमसी	4.80	19.90	31.00	40.00	20.00	61.00
		डब्ल्यूडीसी	10.00	24.06	15.48	46.39	92.87	0.00

24	उड़ीसा	एआईबीपी	173.80	457.74	464.71	119.38	90.65	76.39
		एचकेकेपी	112.70	35.28	61.57	3.65	0.00	69.01
		पीडीएमसी	28.70	39.70	48.00	58.00	30.00	27.00
		डब्ल्यूडीसी	67.50	91.99	94.48	102.17	83.11	1.75
25	पंजाब	एआईबीपी	1.05	52.42	0.00	0.00	0.00	0.00
		एचकेकेपी	155.92	0.00	0.00	0.00	0.00	18.08
		पीडीएमसी	43.00	1.18	0.00	9.00	0.00	0.00
		डब्ल्यूडीसी	7.95	0.00	7.96	0.00	0.00	0.00
26	राजस्थान	एआईबीपी	45.51	45.89	216.87	95.15	7.04	93.61
		एचकेकेपी	149.15	0.00	16.78	7.43	22.18	31.26
		पीडीएमसी	142.84	129.00	107.50	168.48	75.00	200.00
		डब्ल्यूडीसी	200.00	199.35	243.59	299.00	119.43	449.90
27	तेलंगाना	एआईबीपी	112.50	545.44	13.24	1.99	214.04	162.82
		एचकेकेपी	44.88	0.00	69.90	26.12	0.00	0.00
		पीडीएमसी	111.32	189.00	257.00	122.00	0.00	0.00
		डब्ल्यूडीसी	70.00	0.00	51.14	81.93	33.50	60.34
28	तमिलनाडु	एचकेकेपी	38.49	0.00	0.00	7.03	16.75	4.92
		पीडीएमसी	129.78	143.50	369.55	355.00	523.00	400.00
		डब्ल्यूडीसी	75.00	62.36	82.75	90.59	0.00	0.00
29	उत्तर प्रदेश	एआईबीपी	555.04	135.63	65.60	397.16	407.68	391.84
		एचकेकेपी	93.34	0.00	0.00	0.00	166.69	6.00
		पीडीएमसी	37.51	41.40	55.00	87.88	100.00	200.00
		डब्ल्यूडीसी	75.00	58.38	63.93	0.00	0.00	0.00
30	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	पीडीएमसी	0.20	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
31	पुदुच्चेरी	पीडीएमसी	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	एचक्यू	पीडीएमसी	1.33	0.67	1.43	2.73	0.40	35.48
		□□ □□□□	2327.82	3307.88	3593.61	2849.07	1738.76	1510.04
	□□□	□□□□□□□	1905.82	1001.91	1678.13	1343.23	1217.97	976.53
		□□□□□□□	1556.73	1991.24	2819.49	2918.38	2700.01	2562.18
		डब्ल्यूडीसी	1487.83	1471.72	1691.81	1780.55	1472.33	990.23

*पीएमकेएसवाई (एआईबीपी/सीएडी) के लिए नाबार्ड के माध्यम से वित्त पोषण व्यवस्था की जा रही है। जब कभी राज्यों से पात्र प्रस्ताव प्राप्त होते हैं तब केन्द्रीय सहायता जारी की जाती है।

एआईबीपी : त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम।
सीएडी : कमान क्षेत्र विकास।
एचकेकेपी : हर खेत को पानी ।
पीडीएमसी : प्रति बूंद अधिक फसल।
डब्ल्यूडीसी: जल विभाजक विकास घटक।

*****